पत्रांक :– 3/यो01–23/2025 (उ0शि0) 1777/१७५८/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 21/11/2025 /

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना) हेतु राशि रू0 5,00,00,000/– (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1102 दिनांक 09.07.2024

आदेश :– स्वीकृत।

झारखण्ड सरकार राज्य के सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दृढ़संकल्पित है। जिस हेतु उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड स्तर पर विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसी क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1102 दिनांक 09.07.2024 के द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए "CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना)" लागू किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BR- उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप/फेलोशिप योजना हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 40.00 करोड़ एवं 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में 40.00 करोड़ अर्थात कुल राशि रू0 80.00 करोड़ (अस्सी करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध है।

3. उपर्युक्त कंडिकाओं के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना) हेतु राशि रू0 5,00,00,000/– (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष– "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता / 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष– BR- उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप/फेलोशिप योजना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 50– छात्रवृत्ति /वजीफा (विपत्र कोड– 21S220203102BR010650 एवं 21S220203796BR010650) (स्कीम कोड–2106) के अंतर्गत होगा।"

5. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे एवं कार्यपालक निदेशक उक्त राशि को चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

6. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची के कार्यपालक निदेशक द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से नियमानुसार राशि की निकासी की जायेगी।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. बिभागीय संकल्प ज्ञापांक 1102 दिनांक 09.07.2024 के आलोक में CM Fellowship Scheme for Academic Excellence (शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना) का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा किया जायेगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण / वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

65. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

20.11.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–23 / 2025 (उ0शि0) 1771/846 / रॉंची, दिनांक– 21/11/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.11.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–23 / 2025 (उ0शि0) 1771/846 / रॉंची, दिनांक– 21/11/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉंची / प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉंची / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.11.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सूचित कुमार) प्रशाखा पदाधिकारी	(सुधीर कुमार) अवर सचिव	(सुधीर बाड़ा) निदेशक, उच्च शिक्षा